# न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 06/2018 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2018/00015)

1. राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी, थाना निहालगंज—————— प्रार्थी।

बनाम

1. दीपक चौहान पुत्र अमर सिहं जाति ठाकुर निवासी सन्तर रोड धौलपुर——अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री अनुभव पारासर, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)

न्यायालय जिला कलक्टर * धौलपुर (राज.) *

निर्णय दिनांक 30.5.2018

## निर्णय

थानाधिकारी थाना निहालगंज ने एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि 16.5.2005 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर को मुखबिर खास ने इत्तला दी कि दुकान चौहान इलैक्टोनिक्स संतर रोड धौलपुर का मालिक अप्रार्थी दीपक चौहान अवैध रूप से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर जनता को बेच रहा है । मुखबिर की सूचना विश्वनीय होने से इंगित स्थानों पर निगरानी हेतु जाप्ता छोडा गया । जीतेन्द्र हार्डबेयर से कार्यवाही कर 12.25 पीएम पर रबाना होकर समय 12.30 पीएम पर चौहान इलेक्ट्रोनिक्स संतर रोड धौलपुर पर पहुँचा जहाँ मालसिहं पुलिस निरीक्षक व भमरलाल वर्मा ए.एस.आई. अपराध शाखा धौलपुर निगरानी करते हुये मौजूद मिले दुकान मालिक अप्रार्थी दुकान पर मौजूद था पडौसी दुकानदार मुन्नालाल प्रजापति व मोहन सिहं राना को बतौर मोतबिर तलब किया जिनकी मौजूदगी में दुकान की तलाशी ली गई तो दुकान में बडे सिलेण्डर में से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरकर बेचने के अवैध धन्धे के उपकरण बडे व छोटे सिलेण्डर मौजूद मिले गैस बेचने व रखने का लाईसैंस परमिट पूछा तो नहीं होना जाहिर किया दुकान में एक गैस सिलेण्डर एच. पी. गैस जिस पर नम्बर 25567 अंकित हैं सिलेण्डर का बजन दुकान पर उपलब्ध तौलने के कांटे से किया गया तो 26 किग्रा. माप कुल आया सिलेण्डर पर खाली का बजन 17.3 किग्रा अंकित है इस प्रकार सिलेण्डर में कुल 8.7 किग्रा गैस है । सिलेण्डर को जरिये फर्द जप्तकर मार्क ए अंकित कर चिट चस्पा की गई । आठ छोटे सिलेण्डर नये खाली प्रत्येक की क्षमता 4 किग्रा है जप्त कर उन पर मार्का 1 से 8 तक अंकित कर चिट चस्पा की गई तीन पुराने इस्तेमाली पैट्रोमैक्स जिन पर

जिला कलक्टर
धौलपुर

से अप्रार्थी सन्तर रोड धौलपुर लिखा हुआ है जप्त कर मार्का वाई1से वाई3 अंकित किया गया । तीन गैस भरने के रिफलर पीतल के जिनसे बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने के काम में लिया जाता है तीनों को एक कागज के डिब्बे में चिट चस्पा कर मार्क बी अंकित किया एवं बजन तोलने का कांटा जो भरे हुये सिलेण्डरों व खाली सिलेण्डरों को तोलने के काम में लिया जाता है को जप्त कर मार्क सी अंकित किया गया दुकान वाले दीपक पुत्र अमर सिहं जाति ठाकुर उम्र 25 साल निवासी संतर रोड धौलपुर द्वारा बिना लाईसैंसी अवैध रूप से गैस रखने व बेचने का कृत्य किया जा रहा है जो धारा 3/7 ईसी एक्ट पाये जाने पर कायमी जुर्म हेतु भिजवाया है । उक्त वाक्या पर मु0 नम्बर 110/2005 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में कायम कर तफतीश सुपुर्द उप निरीक्षक कर दौराने तफतीश बयानात गवाहन लिये गये घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका कसीद किया गया जिला रसद अधिकारी ने लाईसैंन्स नहीं होना बतलाया अतः अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3/7 ई सी एक्ट का जुर्म प्रमाणित पाये जाने चार्जशीट नम्बर 91/2005 किता की जाकर चालान न्यायालय सीजेएम धौलपुर में पेश किया गया । न्यायालय ने दिनांक 26.6.2017 को निर्णय कर अभियुक्त दीपक चौहान को उक्त प्रकरण में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया एवं उक्त प्रकरण में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियामानुसार निस्तारण के आदेश फरमाये हैं । अतः उक्त प्रकरण में जप्तशुदा माल के निस्तारण आदेश दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया कि उसे इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में आकर पेश करे।

अप्रार्थी दिनांक 23.4.2018 स्वंय उपस्थित हुआ तथा जप्तशुदा माल को सुपुर्दगी में लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । अप्रार्थी दिनांक 1.5.2018 को स्वंय उपस्थित हुआ । किन्तु आज दिनांक 22.5.2018 कई बार आवाज दिलवाये जाने के उपरान्त न तो अप्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ ना ही उसकी ओर से कोई अभिभाषंक उपस्थित हुआ । अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट धौलपुर के पत्र कमांक 21 दिनांक 4.1.2018 की प्रति, फर्द जप्ती दिनांक 16.5.2005 की फोटो प्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.5.2005 एफ.आर रिर्पोट 27.7.2005 की फोटो प्रति, गवाहान के नाम की सूची की फोटो प्रति, माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट धौलपुर के निर्णय दिनांक 29.6.2017 की फोटो प्रति, पेश की।

प्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी दीपक चौहान अवैध रूप से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर जनता को बेचता है । दुकान की तलाशी लेने पर दुकान में बडे सिलेण्डर में से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरकर बेचने का अवैध धन्धे के उपकरण बडे व छोटे सिलेण्डर मौजूद मिले गैस बेचने व रखने का लाईसैंस परमिट पूछा तो नहीं होना जाहिर किया दुकान में एक गैस सिलेण्डर एच. पी. गैस जिस पर नम्बर 25567 अंकित हैं । आठ छोटे सिलेण्डर नये खाली प्रत्येक की क्षमता 4 किग्रा है तीन पुराने इस्तेमाली पैट्रोमैक्स जिन पर से अप्रार्थी सन्तर रोड धौलपुर लिखा हुआ है तीन

जिला कलक्टर
धौलपुर

गैस भरने के रिफलर पीतल के जिनसे बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने के काम में लिया जाता है एवं बजन तोलने का कांटा जो भरे हुये सिलेण्डरों व खाली सिलेण्डरों को तोलने के काम में लिया जाता है जप्त किये गये । अप्रार्थी बिना लाईसैंसी अवैध रूप से गैस रखने व बेचने का कृत्य करता है । माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट ने उक्त प्रकरण में जप्तशुदा माल को धारा 6 एक आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियामानुसार निस्तारण के आदेश फरमाये हैं । अतः उक्त प्रकरण में जप्तशुदा माल को राज सात किये जाने के आदेश दिये जावे ।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी अवैध रूप से बडे सिलेण्डरों से छोटे सिलेण्डरों में गैस रिफलिंग कर जनता को बेचता है । अप्रार्थी की दुकान की तलाशी लेने पर दुकान में बडे सिलेण्डर में से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरकर बेचने का अवैध धन्धे के उपकरण बडे व छोटे सिलेण्डर मौजूद मिले । दुकान में एक गैस सिलेण्डर एच. पी. गैस जिस पर नम्बर 25567 अंकित हैं, आठ छोटे सिलेण्डर नये खाली प्रत्येक की क्षमता 4 किग्रा, तीन पुराने इस्तेमाली पैट्रोमैक्स जिन पर से अप्रार्थी सन्तर रोड धौलपुर लिखा हुआ है, तीन गैस भरने के रिफलर पीतल के जिनसे बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने के काम में लिया जाता तथा बजन तोलने का कांटा जो भरे हुये सिलेण्डरों व खाली सिलेण्डरों को तोलने के काम में लिया जाता है जप्त किये गये । अप्रार्थी बिना लाईसैंसी अवैध रूप से गैस रखने व बेचने का कृत्य करता है । माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट ने अपने निर्णय में जप्तशुदा माल को धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियामानुसार निस्तारण के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा माल एक बडा गैस सिलेण्डर एच. पी. गैस जिस पर नम्बर 25567 अंकित हैं, आठ छोटे सिलेण्डर नये खाली प्रत्येक की क्षमता 4 किग्रा, तीन पुराने इस्तेमाली पैट्रोमैक्स जिन पर से अप्रार्थी सन्तर रोड धौलपुर लिखा हुआ है तीन गैस भरने के रिफलर पीतल के जिनसे बडे सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में गैस भरने के काम में लिया जाता है तथा बजन तोलने का कांटा जो भरे हुये सिलेण्डरों व खाली सिलेण्डरों को तोलने के काम में लिया जाता है को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खाद्य विभाग जयपुर से प्राप्त परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं 20.10.2000 के अनुसार 6 ए के तहत न्यायालय से राजसात किये गये वे सभी गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त पडे हैं तथा उनका निस्तारण नहीं हुआ है तथा जिनका पुनः उपयोग बिना ऑयल कम्पनी की सहमति एवं निरीक्षण के करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं हैं। ऐसे सभी सिलेण्डर/रेग्यूलेटर जो जब्त या राजसात किये गये हैं को सुरक्षा कारणों से निस्तारण हेतु ऑयल कम्पनी को वापस लौटा दिया जावे। गैस सिलेण्डर/रेग्यूलेटर ऑयल कम्पनी की सम्पत्ति है इसे खुले बाजार में नीलामी में नहीं बेचा जा सकता। न्यायालय के निर्णय उपरान्त निस्तारण की दृष्टि से जो भी उपाय होते हैं, वह सम्बन्धित ऑयल कम्पनी ही करेगी। इस हेतु ऑयल कम्पनी से कोई राशि वसूल नहीं की जानी है। परन्तु ऑयल कम्पनी को उक्त सिलेण्डर से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धनराशि ऑयल कम्पनी

जिला कलक्टर
धौलपुर

राजकोष में जमा करायेगी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह जब्त शुदा माल का नियमानुसार निस्तारण करावे । निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना हेतु जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.5.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एन. एम. पहाडिया )
जिला कलक्टर धौलपुर
धौलपुर